

प्रेषक,

अनीता सिंह  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/लेखिका  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2010

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों की पैरवी किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन सभी वादों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है तथा साप्ताहिक वाद सूची/काजलिस्ट को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट [www.upsic.up.nic.in](http://www.upsic.up.nic.in) पर डाल दिया गया है। अपडेटेड वाद सूची/काजलिस्ट को प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार के पूर्व पड़ने वाले शनिवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी जनपदों तथा सभी विभागों के आयोग में लम्बित वादों की सूची ई-मेल के द्वारा भी इस आशय से उपलब्ध करायी जायेगी कि सम्बन्धित अधिकारीगण अपने स्तर पर होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में अपने से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उसका नियमित अनुश्रवण कर सकें।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग तथा अपने विभाग के

.....2/-

Secy

अनीता सिंह

सचिव

(अनीता सिंह)

सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

अधीन आने वाली विभिन्न इकाईयों के सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि नियमित रूप से राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट का अवलोकन कर अपने विभाग से सम्बन्धित लम्बित वादों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा मांगी गयी सूचनाएं निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत उन्हें उपलब्ध कराते हुए राज्य सूचना आयोग में लम्बित वादों की पैरवी हेतु जन सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी निर्धारित तिथि को मा० राज्य सूचना आयोग में उपस्थित हों।

भवदीया  
*(अनीता सिंह)*  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1-प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-सचिव, राज्य सूचना आयोग, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

*(अनीता सिंह)*  
04.1.2010

आज्ञा से,  
*(अनीता सिंह)*  
सचिव।

प्रेषक,

अनीता सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2010  
विषय: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों की पैरवी किया जाना।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों की पैरवी हेतु मा० आयोग के समक्ष प्रायः जन सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्थान पर विभागों के कनिष्ठतम कर्मचारी उपस्थित होते हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के प्राविधानों के अनुसार उचित नहीं है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग तथा अपने विभाग के अधीन आने वाली विभिन्न इकाईयों के सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि मा० राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन अपने से सम्बन्धित वादों की पैरवी हेतु मा० आयोग के समक्ष जन सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिनकी सुनवाई की अपेक्षा मा० आयोग द्वारा की गयी है, से निम्न स्तर के अधिकारी उपस्थित न हों।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,  
  
(अनीता सिंह)  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- सचिव, राज्य सूचना आयोग, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,  
  
(अनीता सिंह)  
सचिव।

3/1/10  
  
2-विभाग  
इस बाब